|||||||||||||||||||||||

## आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :लखीमपुर खीरी,तहसील :लखीमपुर खीरी
वाद संख्या :-5670/2022
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202210432801 0670
दमयन्ती बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अन्तर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

### निर्णय

प्रस्तुत वाद वादिनी दमयन्ती पुत्री पौथीलाल निवासी मोहल्ला शिवकालोनी परगना खीरी शहर व तहसील लखीमपुर जिला खीरी द्वारा अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता के अन्तर्गत वाद योजित करते हुए कहा है कि प्रश्नगत भूमि स्थित ग्राम सरैया परगना खीरी तहसील लखीमपुर जिला खीरी की खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या-177 की गाटा संख्या-379/0.316हे0 पर वादिनी संक्रमणीय भूमिधर दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादिनी उक्त भूमि को आवासीय उद्देश्य से अकृषिक घोषित किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि पर वादिनी का कब्जा है तथा वादिनी उक्त भूमि को अकृषिक प्रयोजन में ला रही है। अतः उक्त भूमि अकृषिक घोषित की जाये।

उक्त भूमि के सन्दर्भ में तहसीलदार लखीमपुर से आख्या दिनांक 02.07.2022 प्राप्त की गई। तहसीलदार लखीमपुर द्वारा उक्त के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करते हुए कहा गया है। भूमि स्थित ग्राम सरैया परगना खीरी तहसील लखीमपुर जिला खीरी की खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या-177 की गाटा संख्या-379/0.316हे0 पर वादिनी संक्रमणीय भूमिधर दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादिनी उक्त भूमि को आवासीय उद्देश्य से अकृषिक घोषित कराना चाहती है। भूमि में कृषि कार्य नहीं होता है। उक्त भूमि सार्वजनिक भूमि नहीं है। उक्त भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादिनी द्वारा साक्ष्य के रूप में खतौनी उद्धरण, नजरी नक्शा, मौके का फोटोग्राफ, सी0एच0 41, 45 व आधारकार्ड छायाप्रति एवं स्वयं का शपथ पत्र दाखिल की गयी। अतः तहसीलदार की आख्यानुसार मेरा समाधान हो गया है कि प्रश्नगत भूमि कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त नहीं हो रही हैं और भूमि गैर कृषि प्रयोजनार्थ हेतु उद्घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

### आदेश

अतः वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रा0सं0 की धारा-80(1) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुये भूमि स्थित ग्राम सरैया परगना खीरी तहसील लखीमपुर जिला खीरी की खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या-177 की गाटा संख्या-379/0.316हे0 भूमि को गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ अकृषिक भूमि घोषित किया जाता हैं। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अविधिक एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। वादिनी ने जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार मालियत का 1 प्रतिशत निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करके चालान संख्या-जीआई0055 दिनांक 01.07.2022 प्रस्तुत किया है। परवाना अमलदरामद जारी किया जाये। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक लखीमपुर को भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 02.7.2022

उप जिलाधिकारी
लखीमपुर।

पृष्ठ संख्या :

नकल प्रार्थना पत्र की संख्या 359 दिनांक 2/7/22

सत्य प्रतिलिपि

सौरभ सेवा संस्थान
ग्रा0 बुर्ईपुरवा पो0 शिवपुरी
जिला-खीरी

नकल आदेश द्वारा प्रति दिनांकित - 02-07-2022

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :लखीमपुर खीरी,तहसील :लखीमपुर खीरी
वाद संख्या :-9671/2022
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T2022104328019671
बाबूरामेश्वरदयालडिग्रीका० बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादिनी बाबू रामेश्वर दयाल डिग्री कालेज द्वारा प्रबन्धक दमयन्ती पत्नी जुगुल किशोर निवासी मोहल्ला शिवकालोनी परगना खीरी शहर व लखीमपुर जिला खीरी द्वारा अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता के अन्तर्गत वाद योजित करते हुए कहा है कि प्रश्नगत भूमि स्थित ग्राम सरैया परगना खीरी तहसील लखीमपुर जिला खीरी की खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या-247 की गाटा संख्या-393/1/1.425हे0 पर वादिनी संक्रमणीय भूमिधर दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादिनी उक्त भूमि में से रकबा 0.600हे0 को आवासीय उद्देश्य से अकृषिक घोषित किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि पर वादिनी का कब्जा है तथा वादिनी उक्त भूमि को अकृषिक प्रयोजन में ला रही हैं। अतः उक्त भूमि अकृषिक घोषित की जाये।

उक्त भूमि के सन्दर्भ में तहसीलदार लखीमपुर से आख्या दिनांक 02.07.2022 प्राप्त की गई। तहसीलदार लखीमपुर द्वारा उक्त के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करते हुए कहा गया है। भूमि स्थित ग्राम सरैया परगना खीरी तहसील लखीमपुर जिला खीरी की खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या-247 की गाटा संख्या-393/1/1.425हे0 पर वादिनी संक्रमणीय भूमिधर दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादिनी उक्त भूमि में से रकबा 0.600हे0 को आवासीय उद्देश्य से अकृषिक घोषित कराना चाहती है। भूमि में कृषि कार्य नहीं होता है। उक्त भूमि सार्वजनिक भूमि नहीं है। उक्त भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादिनी द्वारा साक्ष्य के रूप में खतौनी उद्धरण, नजरी नक्शा, मौके का फोटोग्राफ, सी0एच0 41, 45 व आधारकार्ड की छायाप्रति एवं स्वयं का शपथ पत्र दाखिल की गयी। अतः तहसीलदार की आख्यानुसार मेरा समाधान हो गया है कि प्रश्नगत भूमि कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त नहीं हो रही है और भूमि गैर कृषि प्रयोजनार्थ हेतु उद्घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रा0सं0 की धारा-80(1) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुये भूमि स्थित ग्राम सरैया परगना खीरी तहसील लखीमपुर जिला खीरी की खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या-247 की गाटा संख्या-393/1/1.425हे0 भूमि में से रकबा 0.600हे0 को गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अविधिक एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। वादिनी ने जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार मालियत का 1 प्रतिशत निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करके चालान संख्या-जीआई00056 दिनांक 01.07.2022 प्रस्तुत किया है। परवाना अमलदरामद जारी किया जाये। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक लखीमपुर को भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 02.7.2022

पृष्ठ संख्या :

उप जिलाधिकारी
लखीमपुर।

नकल आवेदन पत्र की संख्या 360 व तारीख 2-7-22
नकल तैयार करने का दिनांक 2-7-22
नकल जारी करने का दिनांक 2-7-22
नकल का मूल्य
नकल की संख्या

अग्रेषित
सौरभ सेवा संस्थान
मो0 मुन्शी नजीर
जिला-खीरी

दिनांक 02.7.2022

प्रतिलिपिकर्ता
मिलानकर्ता